बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

::आदेश::

पटना, दिनांक 12/06/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–79/2026–1846/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–3621/2026 (राम वृक्ष सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक–23.03.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–23.03.2026 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

".... Considering the limited nature of prayer being made by learned counsel for the petitioners, the present writ application is disposed of granting liberty to the petitioners to file separate representations before the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna, within one month from the date of passing of this order, and if such a representations are filed by the petitioners, the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna, shall dispose it of within a further period of six months from the date of receipt of the representations, after giving an opportunity of hearing to the petitioners.

7. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna should be a reasoned and speaking order. It is further made clear that in case the petitioners are found entitled to the relief, which they would be claiming through the representations, the same should be extended to the petitioners within further period of six months from the date of passing of the final order by the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna....."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करते हुए पुर्ननियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अभ्यावेदन को निष्पादित करने हेतु विभागीय पत्रांक–1267 दिनांक–09.04.2026 द्वारा याचिकाकर्त्तागण को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक–15.04.2026 को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। याचिकाकर्त्तागण तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज VC के माध्यम से उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा एवं उन्हे विस्तारपूर्वक सुना गया।

4. याचिकाकर्त्तागण का कथन है कि एल0पी0ए0 संख्या–1818/2010 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम नागेन्द्र प्रसाद आर्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा

दिनांक–26.03.2011 को पारित न्यायादेश एवं विभागीय पत्रांक–874 दिनांक–20.12.2012 के आलोक में सभी वित्तीय लाभ वरीयता के साथ भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

5. एल0पी0ए0 संख्या–1818/2010 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम नागेन्द्र प्रसाद आर्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–26.03.2011 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"...*Learned counsel for the respondents has rightly relied on the order dated 22.2.2011, passed by a Division Bench of this Court in L.P.A. No. 324 of 2011 (The State of Bihar & Ors. Vrs. Sanjay Kumar & Ors.), and the analogous C.W.J.C. No. 5786 of 2010, which upheld an identical order passed by a learned Single Judge of this Court.*

8. The next question which arises for consideration is the relief to which the respondents are entitled. Learned counsel for the respondents has rightly submitted before us that the respondents should not be made to suffer for the gross negligence and inaction on the part of the appellants, in a situation where recommendations were made in February 7 1999 for the appointments. The government arbitrariness apparent on the face of the records to the great prejudice of the respondents can not go unchecked. We are mindful of the position that the writ petitioners have not preferred an appeal before this Court, and we are reminded by the learned Standing Counsel of the well known principle of law that the appellants can not be worse off than the impugned order. We regret our inability to accede to the submission for the reason that the same may not be applicable to the discretionary, prerogative jurisdiction where interest of justice is paramount. The appellants by their extremely negligent and callous approach have subjected the respondents to the line of litigations and utter harassment. The respondents are entitled to the relief of appointment with consequential benefits.

9. In the result, this appeal is dismissed. Appellant no.5 is directed to issue appointment letters to the respondents as assistant teachers in the regular pay scale with effect from Ist January 2000, with replacement pay scales, and shall be entitled to arrears of salary and consequential benefits as well as seniority due to them. The respondents will be entitled to interest at the rate of 6% with effect from 1.1.2000 on all arrears of money benefits till the date of payment..."

6. विभागीय पत्रांक–874 दिनांक–20.12.2012 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयोजित प्राथमिक शिक्षक (विशेष) प्रतियोगिता

परीक्षा के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों के अन्तगर्त गोण्ड जाति के अभ्यर्थियों (कुल 13 अभ्यर्थी) की नियुक्ति के संबंध में जारी किया गया है।

7. अंकनीय है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक–441 दिनांक–08.02.2024 द्वारा इनकी औपबंधिक नियुक्ति 34540 कोटि के सहायक शिक्षक के रूप में किया गया।

5. वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नयी दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0(सी0) सं0–26824/2012 में दिनांक 18.07.2013 को न्यायादेश पारित किया गया है जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"...We make it clear that none of the persons appointed out of the 34,540 vacancies should be disturbed in any way..."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–07/मु0–01–60/2023–01 दिनांक–01.01.2024 निर्गत करते हुए 34540 कोटि के अन्तर्गत वैसे शिक्षकों को सशर्त पुनः नियुक्त करने का निदेश दिया गया था, जिन्हें किसी भी कारण से नियुक्ति के पश्चात् सेवा मुक्त कर दिया गया था।

6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–258 दिनांक–13.04.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि LPA No-1254/2016 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम सत्येन्द्र कुमार एवं अन्य में दिनांक–28.08.2023 को पारित आदेश 34540 कोटि के शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.09.2023 को याचिका संख्या–27872021 के आलोक में अवर सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक–268 दिनांक–03.02.2024 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया गया कि द्वितीय खण्डपीठ द्वारा आदेश दिनांक–28.08.2023 का अक्षरशः पालन किया जाय। साथ ही साथ यह भी आदेश किया गया कि इन शिक्षको का फोल्डर जमा है एवं जिला आवंटित है। लेकिन किसी कारणवश नियुक्ति नहीं की जा सकी। वैसे शिक्षकों की नियुक्ति अविलम्ब की जाए।

उक्त के अलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, गोपालगंज द्वारा याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सहायक शिक्षक के रूप में ज्ञापांक–441 दिनांक–08.02.2024 द्वारा कर दी गई है।

7. अमान्य संस्थाओं से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर बर्खास्त शिक्षक/किसी कारण से नियुक्त नही कराये गए शिक्षको द्वारा पुनर्नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-16580/2014 दायर किया गया। शिक्षकों के पुनर्नियुक्ति के आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No-1254/2016 एवं अन्य संबंधित वाद दायर किया गया जिसमें दिनांक–28.08.2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित की गयी है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"...16. We are of the definite opinion that in the present case where all the party-respondents were appointed as per the directions of the Hon'ble Supreme Court, under the supervision of Justice Chattopadhyay, cannot be terminated on grounds of qualifications not having been properly verified; unless otherwise permitted by the Hon'ble Supreme Court. The party respondents were appointed after their eligibility being settled by Justice Chattopadhyay,

appointed by the Hon'ble Supreme Court, to oversee the selection and appointment of teachers to the vacant posts, identified as available, as per the undertaking made by the State before the Hon'ble Supreme Court. Though the verification of credentials and qualifications of the candidates were directed to be done, there could be no such verification at this late stage. As noticed by the learned Single Judge in the impugned judgment the State ought to have been more vigilant when the appointments were carried out..."

8. उपरोक्त विभिन्न बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली–2010 के अंतर्गत नियुक्त 34540 कोटि के शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की वैधता के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition (C) No-297/2007 में दिनांक–13. 10.2011 को पारित आदेश एवं Civil Review No-16/2016 विजेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–19.10.2016 के न्यायादेश के आलोक में बर्खास्त अवधि का पुनर्नियुक्त शिक्षकों द्वारा अंतर बकाया राशि, सेवा निरंतरता, प्रोन्नति एवं वरीयता की मांग की जा रही है।

9. न्याययिक आदेश के आलोक में बर्खास्त शिक्षकों/ किसी कारण से नियुक्त नही कराये गए शिक्षको से उक्त अंतर अवधि में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं लिया गया है ना ही उनकी उपस्थिति दर्ज करायी गयी है। दृष्टव्य है कि न्यायिक आदेश के आलोक में ही इन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है।

(विक्रम विरकर)

11/06/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–79/2026......1846.....   पटना, दिनांक ...12.06.26...

प्रतिलिपिः– 1. Ram Briksha Singh Son of Late Harihar Singh, Resident of Village-Awar, P.S. Mahnar, District Vaishali.

2. Satyendra Prasad, Son of Late Varan Ray, Resident of Village- Awar, P.S. Mahnar, District- Vaishali.

3. Amita Kumari, Wife of Jai Shankar Vidarthy, Resident of Village- Araniya, P.S Jandaha, District- Vaishali.को सूचनार्थ प्रेषित।

11/06/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–79 / 2026......1846...... पटना, दिनांक ......12/06/26......

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–79 / 2026......1846...... पटना, दिनांक ......12/06/26......

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।